न्यायालय –विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, लखीमपुर–खीरी

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2389 सन् 2022</u>

CNR-UPLP 01 005114 2022

अब्दुल कय्यूम उर्फ कलीम आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र लतीफ, निवासी मो0 श्यामलालपुरवा कस्बा व थाना खीरी, जिला लखीमपुर–खीरी।

———————— अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य ———————— अभियोजक

विशेष वाद सं0–505/2021,
अप0सं0–457/2020,
धारा–135ए भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–खीरी,
जिला–लखीमपुर खीरी।

<u>26.07.2022</u>

1. आवेदक/अभियुक्त अब्दुल कय्यूम उर्फ कलीम की ओर से यह जमानत प्रार्थना अप0सं0–457/2020, धारा–135ए भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–खीरी, जिला लखीमपुर खीरी में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गयी है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है उसे बिजली कर्मचारियों द्वारा रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई बिजली चोरी नहीं की है। प्रार्थी ने दिनांक 15.09.2020 को मु0 31,386/–रूपये व 2000/– शमन शुल्क व अर्थदण्ड के रूप में बिजली विभाग में जमा करके रसीद प्राप्त कर ली थी अब बिजली विभाग का कोई भी बकाया प्रार्थी पर शेष नहीं है। बिजली विभाग द्वारा प्रार्थी द्वारा जमा किये गये अर्थदण्ड व शमन शुल्क की जानकारी थाना खीरी की पुलिस को भेजनी चाहिए थी परन्तु उन्होने थाना खीरी की पुलिस को पैसा जमा होने की सूचना नहीं भेजी जिस कारण प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। प्रार्थी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व का सजायाफ्ता ही है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुये बहस की गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विद्युत का चोरी से उपभोग करते हुए गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा की जाय।

5. उभय पक्षो को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थी/अभियुक्त पर विद्युत चोरी करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति व रसीदें प्रस्तुत की गयी है, जिसमें आवेदक अब्दुल कय्यूम उर्फ कलीम द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख है। जिससे अभियोजन द्वारा इन्कार नहीं किया गया है। उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करने तथा प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अब्दुल कय्यूम उर्फ कलीम का जमानत प्रार्थनापत्र अ0सं0–457/2020, धारा–135ए विद्युत अधिनियम, थाना–खीरी, जिला लखीमपुर खीरी में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल कय्यूम उर्फ कलीम द्वारा रू0 25,000 (पच्चीस हजार)/–की धनराशि का स्वबंधपत्र एवं समान धनराशि की दो नवीन विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4,
लखीमपुर–खीरी।